

दिनाँक 19-09-2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 246/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को पश्चिम बंगाल से सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 246/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को पश्चिम बंगाल से सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी स्थल- नामरहट थाना साहिब गंज जिला कूच विहार पश्चिम बंगाल।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री रक्षपाल सिंह थाना बिनौली।

2-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बिनौली।

3-का0 195 मनोज शर्मा थाना बिनौली।

4- म0का0- 870 मनीषा पंवार थाना बिनौली।

5- सर्विलांस सेल टीम बागपत।



दिनाँक 19-09-

2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 371/22 धारा 452/323/504 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.04.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री शेर सिंह पुत्र स्व श्री चरण सिंह निवासी पुराना करबा बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.अंकुर 2.काला उर्फ विकास 3.बन्टी निवासी पुराना करबा बागपत द्वारा उसके घेर में घुसकर उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 371/22 धारा 452/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 371/22 धारा 452/323/504 भादवि मे वांछित अभियुक्त काला उर्फ विकास को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-काला उर्फ विकास पुत्र तेजपाल निवासी पुराना करूबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत। 2-का0 479 कुलदीप शर्मा थाना कोतवाली बागपत। 3-हो.गा. 361 राजेश थाना कोतवाली बागपत।



दिनाँक 19.09.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 03 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब व 04 पव्वा अवैध देशी शराब दिल्ली मार्का बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 03 बोतल अवैध



अंग्रेजी शराब व 04 पव्वा अवैध देशी शराब दिल्ली मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

- 1.सतीश कुमार पुत्र सोनवीर जाट निवासी ग्राम सिखेडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत। बरामदगी का विवरण-
 - 03 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब दिल्ली मार्का।
 - 04 पव्वा अवैध देशी शराब दिल्ली मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री जनार्दन प्रसाद

2-का0 745 गुलवीर सिंह



दिनाँक 19.09.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 214/22 धारा 363/376डी/323/ 506/120बी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तारा

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 214/22 धारा 363/376डी/323/506/120बी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियोग में विवचेना के दौरान साक्ष्य संकलन



के आधार पर धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना रमाला पुलिस द्वारा पूर्व में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1-मोमीन पुत्र सहीदू निवासी ग्राम सूप थाना रमाला जनपद बागपत। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह थाना रमाला।
- 2- का0 685 दीपक कुमार थाना रमाला।
- 3- का0 चालक इरशाद थाना रमाला।



थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 19.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 258/22 धारा 342/504/506/307/498ए भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार,जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक कैंची बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 27.03.22 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मकसूद अली पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी लिसाड़ी गेट तारापुरी मेरठ ने सूचना दी कि दिनांक 26.03.22 को शहजाद, वकील उर्फ पप्पे, दिलशाद एवं 02 महिला निवासीगण खुब्बीपुर निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत व इकबाल पुत्र सागर द्वारा उसकी पुत्री के साथ गाली-गलौच करते हुए कैंची से हमला किया जिससे उसकी लडकी गंभीर रूप से घायल हो गई तथा जान से मारने की धमकी देते हुए प्रताड़ित किया। इस संबंध में



प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 258/22 धारा 342/504/506/307/498ए भादवि पंजिकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 258/22 धारा 342/504/506/307/498ए भादवि में वांछित अभियुक्त शहजाद को गिरफ्तार किया गया है जिसकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक कैंची बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

• घटना में प्रयुक्त एक कैंची।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-शहजाद पुत्र वकील उर्फ पप्पे निवासी खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री मधुरश्याम थाना कोतवाली बागपत।

2-का0 158 मंजीत थाना कोतवाली बागपत।



थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 19.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 904/22 धारा 354 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 904/22 धारा 354 भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1-मनव्वर पुत्र अनीस निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत।

2-का0 846 नरेन्द्र थाना कोतवाली बागपत।



दिनाँक 19.09.2022

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 248/22 धारा 376 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 248/22 धारा 376 भादिव में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-हरिओम पुत्र रोहताश निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

- 1-उ0नि0- श्री शिवराज सिंह थाना बिनौली।
- 2- का0 1119 वीरेश कुमार थाना बिनौली।
- 3- का0 988 निशान्त कुमार थाना बिनौली।